प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक

साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 30-14 अक्तूबर 2019 मूल्य पांच रूपए

उपचुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों का भी दायित्व रहना सवालों में

क्या 16 अक्तूबर को धर्मशाला में इन्वैस्टर मीट की प्रस्तावित समीक्षा बैठक आचार संहिता का उल्लंघन नही है

इन्वैस्टर मीट के पोस्टरों पर मुख्यमन्त्री के फोटो का चुनाव आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान-हटाने के दिये निर्देश

शिमला/शैल। इन उपचुनावों में सरकारी तन्त्र का दुरूपयोग होने का आरोप लगना शुरू हो गया है। इस संद्धर्भ में एक मामला दर्ज भी हो गया है। दूसरे में मामला दर्ज होने के कगार पर है और तीसरे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. बिन्दल के मामले में नोटिस जारी हो चुका है। पच्छाद में दो बार आईपीएच विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद पानी की पाईपों के दो ट्रक पकड़े गये हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार करने को मुख्यमन्त्री ने यह कह कर जायज ठहराया है कि जब बहुमत की सरकार होती है तो ऐसा किया जा सकता है और अन्य प्रदेशों में भी अध्यक्ष चुनाव प्रचार करते हैं। मुख्यमन्त्री का यह कहना कितना तर्क संगत है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार बनती ही बहुमत से है और रहती भी तभी तक जब तक उसे बहुमत हासिल रहता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पूरे सदन का संरक्षक होता है और इसीलिये उसे निष्पक्ष रहना होता है। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन में सरकार चली जाती है और विधानसभा भी भंग कर दी जाती है तब अकेला विधानसभा अध्यक्ष ही अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष पद की इस गरिमा को बनाये रखना अध्यक्ष और सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी होती है परन्तु इस समय ऐसा हो नही पा रहा है।

यही नही चुनाव आयोग ने इन्वैस्टर मीट के पोस्टरों पर से मुख्यमंत्री के फोटो को हटाने के निर्देश जारी किये हुए हैं। इन निर्देशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनावों के दौरान इस मीट की तैयारियों का प्रचार-प्रसार आर्दश चुनाव आचार सहिंता के दायरे में आता है जिसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिये। लेकिन इस संज्ञान से हटकर इस मीट की तैयारियों की समीक्षा बैठक ही 16 अक्तूबर को धर्मशाला में की जा रही है जहां पर उपुचनाव होना है। इस समीक्षा बैठक में सारा शीर्ष प्रशासन मौजूदा रहेगा। नियमों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक यह बैठक चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लघंन है। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका संज्ञान नही ले रहे हैं क्योंकि उपचुनावों में वह चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार में भी कुछ विभागों के सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे है। कायदे से चुनावों के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और कोई जिम्मेदारी नही दी जाती है ताकि वह भयमुक्त होकर इस जिम्मेदारी को निभा सके। अभी 10 अक्तूबर को राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक दिन की यात्रा पर शिमला आया था। उसने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों के साथ बैठक करके एक पत्रकार वार्ता भी कर ली। इस वार्ता में आयोग ने जनजातियों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो का पूरा प्रशस्ति पत्र वार्ता में रख दिया। प्रदेश के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है और इस क्षेत्र का आधा भाग हाटी समुदाय उसे जनजाति दर्जा दिये जाने की मांग कर रहा है। इस उपचुनाव में भी वहां पर यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस परिदृश्य में जनजाति आयोग की उपचुनावों के दौरान प्रदेश मुख्यालय में शीर्ष प्रशासन से बैठक और फिर प्रैसवार्ता करना दोनों आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। लेकिन इस सब पर शीर्ष प्रशासन से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक सब एकदम खामोश होकर बैठे हुए हैं जबकि चुनावों में प्रशासन की परोक्ष/अपरोक्ष भूमिका पर कोई सवाल न उठें यह उन्हे सुनिश्चित करना होता है। चुनावों के दौरान भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों का भी दायित्व रहना अपने में सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक की नीयत और नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

इन्वैस्टर मीट पर मुकेश ने मांगा श्वेतपत्र-उपचुनावों में मुकाबला हुआ तिकोना

शिमला/शैल। देश में 442 विधानसभा सीटों के लिये चुनाव हो रहा है जिसमें 288 सीटें महाराष्ट्र और 90 सीटें हरियाणा विधानसभा की हैं। शेष 64 सीटों पर विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। इन्ही में हिमाचल की भी दो सीटें पच्छाद और धर्मशाला में उपचुनाव हो रहा है। लोकसभा में 303 सीटों का आंकड़ा हासिल करने वाली भाजपा के लिये यह चुनाव शायद एक नयी चुनौती बन गये हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमितशाह इन्हे तीन तलाक और धारा 370 को हटाये जाने की उपलब्धि के गिर्द केन्द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की विपक्ष को यह चुनौती की यदि उसमें साहस हैं तो धारा 370 फिर से लगाने की घोषणा करें। विपक्ष मोदी-शाह की इस चुनौती का कैसे और क्या जवाब देता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन मोदी की यह चुनौती विपक्ष से ज्यादा आम आदमी की समझ और उसके धैर्य के लिये भी एक कसौटी होगा। क्योंकि आर्थिक मंदी में नौकरियों पर मण्डराता खतरा और प्याज-टमाटर के बढ़ते दामों का तीन तलाक और धारा 370 से परोक्ष/अपरोक्ष में कोई वास्ता नही है।

यह चुनाव विधानसभा के लिये हो रहे हैं इस नाते इन चुनावों में राज्य सरकारों की कारगुजारी की समीक्षा ही मुख्य मुद्दा रहना चाहिये। इस परिप्रेक्ष में यदि प्रदेश की दोनों सीटों का आकलन किया जाये तो सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही सीटों पर भाजपा अपने विद्रोहीयों को चुनाव मैदान से हटाने में सफल नही हो पायी है। भाजपा के इन विद्रोहीयों के कारण दोनों जगह मुकाबला तिकोना हो गया है। भाजपा को इस उपचुनाव में विधानसभा अध्यक्ष को प्रचार में उतारना पड़ा है। इसको लेकर चुनाव आयोग नोटिस तक जारी कर चुका है। मुख्यमन्त्री विधानसभा अध्यक्ष का बचाव करने को मजबूर हो गये हैं। इसी के साथ जो शान्ता कुमार सक्रिय राजनीति से सन्यास की घोषणा कर चुके हैं उन्हे भी अब चुनाव प्रचार में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद धूमल जिस तरह से हाशिये पर धकेल दिये गये थे वह जंजैहली प्रकरण से लेकर अब अनुराग ठाकुर की प्रदेश यात्राओं के दौरान भाजपा के एक बड़े वर्ग का उनकी सभाओं से दूरी बनाये रखना बहुत कुछ ब्यान कर देता है। इसके बावजूद भी धूमल चुनाव प्रचार में उतर गये हैं।

लेकिन अभी इन्ही चुनावों में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर प्रदेश में जिस बड़े अन्दाज में लेकर आये उस अन्दाज की हवा बिलासपुर और मण्डी की सभाओं में पूरी तरह निकल कर बाहर आ गयी है। क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर जनता की हाजिरी आशाओं से कहीं बहुत कम थी। बिलासपुर नड्डा का अपना घर था तो मण्डी मुख्यमंत्री का अपना घर था। मण्डी की दसों सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है इसलिये यहां नड्डा की रैली के लिये पचास हजार की भीड़ का लक्ष्य रखा गया था। मण्डी के जिस सेरी मंच पर यह आयोजन रखा गया था वह मंच तो 3500 लोगों के साथ ही भर जाता है लेकिन जो तस्वीरें बाहर आयी हैं उनमें मंच पर भी खाली जगह रही है। मण्डी में हाजिरी का कम होना क्या किसी तय योजना का हिस्सा था या जनता के मोह भंग का संकेत है इसको लेकर कई चर्चाएं चल निकली हैं। लेकिन यह सभांए निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा से कहीं कम थी। शायद इसी कारण नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने प्रदेश में आने पर न ही तो पत्रकार वार्ता करके गये और न ही उपचुनावों में कोई जनसभा करके गये।

ऐसे में इन उपचुनावों में सरकार के पास उपलब्धि के रूप में इन्वैस्टर मीट के माध्यम से 77000 करोड़ से अधिक के निवेश के आश्वासनों के समझौता ज्ञापनों से हटकर कुछ नही है। इन्वैस्टर मीट में हुए एम ओ यूज पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करके एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। क्योंकि सरकार ने यह निवेश जुटाने के लिये निवेशकों को जिस तरह की सुविधायें प्रदान करने और इसके लिये जिस हद तक नियमों का सरलीकरण करने की बात की है उससे भविष्य में प्रदेश के लिये ही कई समस्यांए खड़ी हो जाने की

शेष पृष्ठ 8 पर..............

शिमला को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखें:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सकारात्मक सोच के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान सीधा पर्यटन से जुड़ा है तथा कहा कि स्वच्छता सुनिश्चित करने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी।

राज्यपाल नगर निगम शिमला द्वारा चौड़ा मैदान में आयोजित स्वच्छता अभियान के अवसर पर बोल रहे थे।

राज्यपाल ने स्थानीय निवासियों व स्कूली छात्रों के साथ भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निकट चौड़ा मैदान में सफाई की। उन्होंने नगर निगम द्वारा इस आयोजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि इस प्रकार की सामाजिक भागीदारी से सम्बन्धित क्षेत्र की स्वच्छता में और अधिक सुधार होगा। उन्होंने लोगों से सफाई को नियमित रूप से अपनाने और क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों का विस्तार करने का आग्रह किया ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो सकें।

दत्तात्रेय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास की स्वच्छता बनाये रखने के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा सभी पर्यटन स्थलों में स्वच्छता अभियान को प्रभावी रूप से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य होने के कारण यहां के नगर व कस्बों में पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि पर्यटकों में प्रदेश की स्वच्छ पर्यटक स्थल के रूप में छवि बनाई जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2017 में 1.96 करोड़ पर्यटक आये जिनमें लगभग 4.70 लाख विदेशी पर्यटक थे। इन पर्यटकों में 1,62,168 विदेशी पर्यटक और 33,18,829 घरेलू पर्यटक शिमला आये। उन्होंने कहा कि इससे शिमला के प्रति पर्यटकों के आकर्षण का पता चलता है और यह हमारा कर्तव्य है हम शिमला को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखें ताकि यहां आने वाले पर्यटक अपने साथ शिमला की स्वच्छता और मधुर स्मृतियां लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और उन्होंने इस प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर आयोजित करने पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जा सके।

नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय, राजकीय उच्च विद्यालय चौड़ा तथा डीएवी स्कूल टुटू के विद्यार्थियों ने भी इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

राज्यपाल ने नैतिक मूल्यों के उच्च सिद्धातों की पुनर्स्थापना पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए महात्मा गांधी के विचारों, उच्च सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करें।

उन्होंने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित 'महात्मा गांधी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय एकता', विषय पर परस्पर संवाद पर विचार रखे।

राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी न केवल भारत के लिए अपितु सम्पूर्ण मानव जाती के लिए आदर्श है, उनके सिद्धांत हमें अहिंसा, समानता, आपसी भाईचारे और संघर्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा उनके हथियार थे। उन्होंने हमें अपने जीवन में सिद्धांतों और आदर्शो पर चलने का संदेश दिया था। उनकी लड़ाई न केवल भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थी अपितु देश को एक सिद्धांतवादी राष्ट्र बनाने के लिए भी थी।

राज्यपाल ने कहा कि हम जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वच्छ भारत, महिलाओं व बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और किसानों व गांवों का विकास, जलवायु परिवर्तन और हरित आवरण, वातावरण अनुकूल जीवन शैली को अपना कर ही हम गांधी के सिद्धांतों को पुनर्जीवित कर सकेंगे।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष प्रो. कपिल कपूर ने इस अवसर पर राज्यपाल को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनेन ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि हमें जम्मू-कश्मीर को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भारत के साथ मुख्यधारा से जोड़ना होगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) के निदेशक प्रो. आर. प्रेजपी ने भी इस अवसर पर अपने विचार सांझा किए। इस अवसर पर शोध अध्येता (रिसर्च फेलोज) भी उपस्थित थे।

लोगों की धार्मिक आस्था को दर्शाता कुल्लू दशहरा उत्सव

शिमला/शैल। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को और अधिक प्रभावी तथा सफल बनाने का आह्वान किया तथा सभी लोगों से इस अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने को कहा।

राज्यपाल कुल्लू के लाल चंद प्रार्थी कला केन्द्र में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या के उद्घाटन अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों की धार्मिक आस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी यहां के लोग अपनी पुरातन संस्कृति, परम्पराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। यह मेले और उत्सव इस प्रदेश के लोगों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें उत्साह और उमंग से ओत-प्रोत करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि वास्तव में पूरा हिमाचल अत्यधिक सुंदर है परन्तु कुल्लू जिला मनमोहक घाटियों व प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति के लिए देशभर में एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि यहां प्रति वर्ष देश-विदेश के लाखों पर्यटक भ्रमण पर आते है और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से यहां के स्वच्छ वातावरण के संरक्षण और संवर्धन का आग्रह किया। यद्यपि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण एक कठिन चुनौती है लेकिन मानव जीवन का विकास इसी पर निर्भर है।

उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें भगवान राम के जीवन से सच्चाई, बलिदान तथा उच्च आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा इन आदर्शों पर चलने से हमारा समाज खुशहाल हो सकता है।

वन, परिवहन, युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि दशहरा उत्सव अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में भगवान राम की शिक्षाएं अब भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा इस उत्सव के अवसर पर किए गए व्यापक प्रबंधों के लिए सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल को सम्मानित भी किया गया।

उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष, कुल्लू दशहरा उत्सव समिति डॉ. रिचा वर्मा ने उत्सव की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

सरकार के आधारभूत अधोसंरचना कार्यों में कमी पाये जाने पर होगी सख्त कारवाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे आधारभूत अधोसंरचना कार्यों की जांच स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ता सभी सम्बद्ध विभागों, बोर्डो, निगमों और अन्य विभागों को अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ते द्वारा शिमला से मटौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जांच 14 से 17 अक्तूबर, 2019 को की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग गगरेट-मुबारकपुर-देहरा-गोपीपुर-रानीताल-कांगड़ा-मटौर-धर्मशाला-मैकलोडगंज (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-03 और 503) की जांच 19 से 22 अक्तूबर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा 24 से 26 अक्तूबर, 2019 तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पठानकोट-नुरपूर-पालमपुर-जोगिन्द्रनगर-मण्डी (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154) की जांच की जाएगी।

संजय कुंडू ने कहा कि दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग ऊना-अम्ब-मुबारकपुर (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-503 एक्सटेंशन) की जांच 30 व 31 अक्तूबर, 2019 को की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग अम्ब से नादौन (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-03) की जांच 4 से 7 नवम्बर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा वन मण्डल शिमला के तहत शिमला के कनलोग में स्थित दाड़नी का बगिचा, नेचर पार्क स्थल तथा दस्तावेजों की जांच 13 से 15 नवम्बर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा उपरोक्त सभी स्थानों में कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और किसी प्रकार की कोताही अथवा कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Himachal Pradesh
Public Works Department
Notice inviting tender

Sealed item rates tender on form 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer HP,PWD, Karsog on behalf of Governor of Himachal Pradesh** from the approved/eligible contractors enlisted in HP,PWD for the following works so as to reach in this office on or before **4-11-2019 upto 11.00 AM** and shall be opened on the same day at **12.00 AM** in presence of the contractor or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (Non refundable) **upto 4.00 PM on 2-11-2019** for which the application should reach in this office **upto 1.00 PM 2-11-2019.**

The earnest money in shape of National saving certificate/time deposit account/saving account in any Nationalized Bank in H.P duly pledged in favour of the **Executive Engineer Karsog Division, HP,PWD,** Karsog will be received alongwith application for obtaining tenders form. The conditional tenders will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for 51 days from the date of opening of tender. The **Executive Engineer, HP,PWD, Karsog** reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. The contractors should append their enlistment/renewed certificates/sale Tax registration Numbers with the application for issue of tender form. If any of the date mentioned above happens to be holiday the same shall be processed on next working day.

Sr..No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time allowed	Cost of Form
1. Restoration of rain damages on old Rakni Pangna road Km. 0/0 to 2/500 (SH;-	1,56,009/-	3200/-	Three month	350/-
2. C/o R/wall at RD. 1/920 to 1/928) A/R & M/O Assistant Engineer Residence Building at Pangna (SH;- Providing tile floor and Painting etc)	2,33,739/-	4700/-	Three month	350/-
3. Construction of Ruhni Manola road km. 0/0 to 11/200 (SH;- F/C 5/7 mtrs wide road at RD. 10/200 to 10/980)	1,80,755/-	3700/-	Three month	350/-
4. Construction of Gagaun to Mamail road Km. 0/0 to 3/140 (SH;- F/C 5/7 mtrs wide road at RD. 0/885 to 1/345) under SCSP	2,72,690/-	5500/-	One month	350/-
5. R/R Damages on BSKL road Km. 0/0 to 41/800 (SH;- C/o R/wall at RD. 15/135 to 15/150.70)	3,35,026/-	6700/-	Two Month	350/-
6. R/R Damages on Kelodhar Chhatri road Km. 0/0 to 16/0 (SH;- C/o R/wall at RD. 5/935 to 5/940 & 6/095 to 6/116).	3,79,342/-	7600/-	Three Month	350/-
7. R/R Damages on Seri Shout road Km. 0/0 to 19/0 (SH;- Providing and laying G-II in Km. 7/0 to 9/0)	3,98,200/-	8000/-	One month	350/-
8. M/T on kheel kufri to Belar Dhar road Km. 0/0 to 12/0 (SH;- P/L Kharanja stone soling & wearing at various RDs)	2,57,839/-	5200/-	Three Month	350/-
9. C/o Behli to Sangrol road km. 0/0 to 1/540 (SH;- C/o R/ wall at RD. 0/0 to 0/030)	2,99,931/-	6000/-	Two month	350/-

TERMS & CONDITIONS
1. No tender form will be issued to those contractosr who are not registered under HPGST Act.
2. No tender form will be issued to those contractosr who are not registered under EPF Act
3. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
4. The earnest money for the above work should be attached with the application.
5. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlist-ment and renewal enlisted in HP,PWD.
6. The work done performance certificate issued by the concerned Executive Engineer required to be produced by the contractor along with application.and the tender form will be issued only those contractors who have work done.

Adv. No.2384/19-20 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
#NOTICE INVILTING TENDER#

Sealed item rate tenders are hereby invited by the **Executive Engineer, Spiti B&R Division, HP.PWD.,** Kaza on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the below noted works from eligible contractors registered in HP.PWD., so as to reach in this office on or before **30/10/2019, upto 3.00 PM** and the same shall be opened on the same day at **3.30 PM,** in the presence of the contractors or their authorized representatives who may be present. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non-refundable) on **26/10/2019..**

The tender shall accompany with earnest money which should be in the shape of NSC/Time Deposit. /Saving Bank Account in the Post Office/Bank in HP duly pledged in favour of the undersigned.

Conditional tenders, telegraphic and tenders without Earnest Money will not be entertained. The Executive Engineer, Spiti B & R Division, HP.PWD. Kaza reserves the right to accept or reject the tenders. The tender shall remain valid for **120 days** from the date of opening of tenders.

Sr..No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time
1. R/R damages on Lingti Ramme Lalung Road KM 0/00 to 10/00 (SH: C/o created R/wall at RD 3/780 to 3/800)	419617/-	8400/-	Six Months
2. R/R Damages on Kaza Langza Road Km 0/00 to 14/00 (SH: C/o Retaining wall at RD 5/330 to 5/341)	480363/-	9700/-	Six Months

TERMS AND CONDITIONS:-
1.The Contractor/Firm shall have his/their PAN CARD, SGST/CGST Numbers and copy of the same be attached with the application.
2. The intending Contractor/Firm should have attached copy of registration/renewal and copy of proof of registration under employees Provident Fund and miscellaneous provision act-1952 with application.
3. The intending Contractors are requested to see the site of the work before submitting the tender.
4. The Executive Engineer reserves the right to reject/accept any or all the tenders without assigning any reasons.
5. A contractor enlisted in particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.
6. The contractor will have to submit an affidavit alongwith application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.
7. Tender forms for two works only shall be issued to each contractor who has no previous pending works.
8. Tender documents shall be issued to those contractors/Firms who has submitted the certificate from Executive Engineer concerned to the effect that he has completed successfully similar nature of works during last five years.

Adv. No.2299/19-20 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

'प्रगति रथ' एचडीएफसी बैंक का एक सराहनीय प्रयास:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एचडीएफसी बैंक के 'प्रगति रथ' को रवाना किया। बैंक द्वारा आरम्भ एक माह के इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को वित्तीय व डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

ने कहा कि यह 'प्रगति रथ' एचडीएफसी बैंक का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रथ एलईडी से सुसज्जित है तथा इसके माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर एचडीएफसी बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चैक भेंट किया। बैंक द्वारा किए जा रहे परोपकारी कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि निर्धन व जरूरतमंद लोगों को विकट परिस्थितियों में राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 20 महीनों के दौरान निर्धन व जरूरतमंद लोगों को 30 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की 10 नई शाखाएं खोलने की घोषणा के लिए बैंक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निजी बैकों द्वारा ज्यादातर शहरों में ही बैंक शाखाएं खोलने का प्रचलन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक शाखाएं खोल कर इस धारणा को बदला है।

बैंक ने सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 15 गांव गोद लेने तथा प्रदेश में सतत् आजीविका पहल योजना आरम्भ करने की घोषणा की। बैंक ने प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान को सहयोग करने की बात कही तथा प्रदेश में कचरा प्रबंधन में भी अपनी भागीदारी निभाने का आश्वासन दिया।

जय राम ठाकुर ने राज्य में सीएसआर के अंतर्गत बैंक द्वारा विभिन्न गतिविधियां आरम्भ करने की सराहना करते हुए कहा कि इससे सरकार द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने कहा कि बैंक राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों से आग्रह किया कि वह ऋण प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि उपभोक्ताओं को ऋण लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा अतिरिक्त दस शाखाएं खोलने का निर्णय सराहनीय है इससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की सफलता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. आदित्य पुरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बैंक की 67 शाखाएं और 107 एटीएम उपलब्ध हैं। बैंक के शाखा प्रमुख विनीत अरोड़ा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

फेक फोटो और वीडियो को कैसे जांचे मीडिया कर्मी पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। गूगल न्यूज इनिशियेटिव और प्रेस क्लब शिमला के संयुक्त तत्वाधान में फेक न्यूज की रोकथाम विषय पर प्रेस क्लब में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 65 मीडिया कर्मियों, मिलिट्री इंटैलिजेंस, शिमला पुलिस व साइबर पुलिस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

गूगल की तरफ से अधिकृत गूगल प्रमाणिक प्रशिक्षक दीपक खजूरिया ने कार्यशाला में फेक न्यूज को पहचानने, गूगल पर पासवर्ड व सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने तथा गूगल के टूल्ज को इस्तेमाल करवाने के साथ इनका प्रयोग करना बताया।

उन्होंने प्रतिभागियों को जानकारी दी कि गूगल ने किसी भी तस्वीर को परखने-जांचने के लिए बहुत सारे टूल्स इजाद किए हैं। गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल से गूगल डेटाबेस के जरिए किसी भी तस्वीर की असलियत का पता लगाया जा सकता है।

उन्होंने प्रतिभागियों को फोटो और वीडियो की सत्यता की जांच के तरीके बताये। इस दौरान गूगल रिवर्स इमेज सर्च तथा कई फोटो व वीडियो के फेक होने व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत तरीके से पेश करने वालों की पहचान के तरीके बताए गए। व्हाट्सअप व फेसबुक का प्रयोग समझदारी से करने तथा फेक न्यूज, फोटो व वीडियो के सत्यापन की बारीकियों के बारे में अवगत करवाया।

दीपक खजूरिया ने बताया कि गूगल टूल्स की मदद से फोटो और विडियो में मिसइनफार्मेशन और डिसइनफार्मेशन को आसानी से पकड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ज्यादातर कटेंट फेक होता है या फिर ओरिजिनल फोटो या विडियो को तोड़मरोड़ कर वायरल किया जाता है जिससे सम्बंधित व्यक्ति व समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि आज इंटरनैट के दौर में सूचनाएं सोशल नैटवर्किंग साइट के जरिए आसानी से आम लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन तकनीक ने अनेक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। ऐसी परिस्थिति में मीडिया व सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपने तकनीकी कौशल को बेहतर बनाने की जरूरत है।

प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने कहा कि पहली बार इस तरह की मीडिया कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब द्वारा आगामी समय में भी मीडिया कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत अब तक 39.93 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार:विपिन परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने नई दिल्ली में दो दिवसीय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर आयोजित कान्फ्रेंस के समापन सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाने में देश का शीर्ष राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 28.57 प्रतिशत परिवारों को लाया गया है जबकि 31.42 प्रतिशत परिवारों को हिम केयर के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि 25 प्रतिशत परिवार स्थाई/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, 14.29 प्रतिशत परिवारों को ईएसआई के अंतर्गत लाया गया है जबकि 2.86 प्रतिशत परिवार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की है। परमार ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 62% परिवारों को अभी तक गोल्डन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 33961 लाभार्थियों को इस योजना के तहत 32.56 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के किसी भी पंजीकृत अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस कार्य के लिए प्रदेश में अभी तक 199 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 52 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए 1 जनवरी, 2019 से हिम केयर योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 40100 लाभार्थियों को 39.93 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हिम केयर योजना प्रदेशवासियों को बेहतर व निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने की दिशा में वरदान सिद्ध हो रही हैं।

शीघ्र शुरू होगा जायका का द्वितीय चरण

शिमला/शैल। फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने के उपरांत प्रदेश के सभी जिलों में दूसरे चरण को लागू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। यह जानकारी जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए, टोकियो) के उप-

निदेशक ताकुमी कुनिताके ने दी। यह दल राज्य के दौरे पर आया है उनके साथ सोता कोइदे, सह निदेशक दक्षिण एशिया (जीआईसीए) व मारिया वातानाबे, प्रतिनिधि (जीआईसीए) भारत कार्यालय भी आए हैं। इस दल द्वारा मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी से इस परियोजना के द्वितीय चरण को आरम्भ करने बारे चर्चा की गई।

कृषि विभाग द्वारा 1104 करोड़ रुपये की जायका फेज दो की परियोजना जून, 2019 को भारत सरकार के माध्यम से जापान सरकार को भेजी गई थी। इस परियोजना की विस्तृत जानकारी लेने हेतु इस मिशन टीम द्वारा यह दौरा किया गया। जायका फेज दो को प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना के अच्छे परिणाम सामने आये हैं जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी है और सब्जी उत्पादन से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है तथा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और वे सिंचाई स्कीमों का संचालन स्वयं कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधायें जुटाने और अधिक क्षेत्रफल सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना का संचालन विभाग द्वारा अच्छे ढंग से किया जा रहा है और सभी कार्य अनुमानित लागत के अंदर ही पूरे किये गये हैं। उन्होंने जायका से अनुरोध किया कि प्रथम चरण परियोजना के पूर्ण होने से पहले जायका चरण दो की मंजूरी दी जाये ताकि जो भी प्रशिक्षित कर्मचारी इस में काम कर रहे हैं उनके अनुभव का फेज दो में सदुपयोग किया जा सके।

मिशन टीम ने बताया कि इस मिशन की रिपोर्ट के बाद जापान सरकार द्वारा परियोजना के दूसरे चरण बारे निर्णय लिया जायेगा तथा उसके बाद एक मिशन और आएगा जो परियोजना का दूसरे चरण की डी.पी.आर. का विस्तृत अध्ययन करेगा और उसके उपरांत ऋण का सहमति पत्र भारत सरकार व जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया जायेगा।

मिशन टीम ने प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा की। इस टीम ने परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पांच जिलों में से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के विभिन्न भागों का दौरा किया। इस दौरान परियोजना के प्रभावों का निरीक्षण करने पर यह बात सामने आई है कि जायका ने परियोजना क्षेत्र में फसलों की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन से सभी पांचों जिलों में सुखद परिणाम आये हैं। इसी सफलता को देखते हुए इस परियोजना के द्वितीय चरण को प्रदेश के सभी जिलों में आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

पंचायतों में कोल्ड स्टोर बनाये सरकार:दीपक राठौर

शिमला/शैल। राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि प्रदेश की सेब बागवानी खतरे में है अगर समय रहते

उचित कदम न उठाये गये तो प्रदेश के बागवानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की चार हजार करोड़ की आर्थिकी सेब पर आधारित है इसके बावजूद प्रदेश के बागवानों को इस बार सेब की दस साल पुरानी किम्मतें ही मिल पा रही हैं। जबकि बागवानी विभाग ने इस वर्ष सेब की चार करोड़ पेटीयां होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें से अभी तक ढाई करोड़ पेटीयां भी बाजार में नही उतर पायी है। इससे यह साफ हो जाता है कि इस बार सेब की बम्पर फसल नही हो पायी है। राठौर ने बताया सेब बागवानों की समस्या को जानने के लिये हमने एक छः सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जिसने गांवों में जाकर सेब बागवानों, आढ़तीयों और लदानीयों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उसके आधार पर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। जिसमें 5-5 ग्राम पंचायतों के लिये एक कोल्ड स्टोर बनाया जाये और कोल्ड स्टोर की देखभाल कारपोरेट सोसायटी के हाथों में दी जाए। प्रदेश सरकार सेब बागवानों को उनकी फसल के उचित मुल्य दिलवाने के लिये ठोस कदम उठाये। सरकार घटीया स्प्रे विक्रेताओं पर निगरानी रखें और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसैसिन्ग यूनिट लगाये जिसका सीधा फायदा बागवान को मिल सके। सरकार आधुनिक सुविधाओं वाली आढ़त एक छत के नीचे प्रदान करे जिसका लाभ व्यापारी और बागवान उठा सकें। अगर सरकार ने जून तक इन सभी मांगो की सुनवाई नही की तो प्रदेश के सेब बागवानों द्वारा जन आन्दोलन छेड़ा जायेगा।

कोई भी काम शुरू करने के पहले तीन सवाल अपने आपसे पूछो– मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूँगा ?...... चाणक्य

सम्पादकीय

विपक्ष अभी भी हताशा में क्यों

लोकसभा चुनावों में पूरे विपक्ष को जिस तरह की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है शायद उसकी उम्मीद सत्ता पक्ष के अतिरिक्त किसी को भी नही थी। यह हार इतनी अप्रत्याशित थी कि इसके कारणों की औपचारिक समीक्षा तक कोई दल नही कर पाया है। इस समीक्षा के अभाव का ही परिणाम है कि विपक्ष अब तक न तो सामूहिक तौर पर और न ही अपने-अपने तौर पर कोई आन्दोलन खड़ा कर पाया है। लोकसभा चुनावों से पहले पूरा विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पर एक था। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में सबने इकट्ठे दस्तक दी थी। आज देश आर्थिक मंदी के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ लेकर बाजार में डालने और फिर 1.45 लाख करोड़ की कर राहत कारपोरेट जगत को देने के बावजूद स्थिति संभलने की बजाये और बिगड़ गयी है। बीएसएनएल, एमटीएनएल और रेलवे को बड़े पैमाने पर विनिवेश करने की तैयारी की जा रही है इस आश्य की घोषणाएं कभी भी सुनने को मिल सकती हैं। इस सबका परिणाम नौकरियां जाने और मंहगाई के बढ़ने के रूप में सामने आयेगा। आम आदमी की बचतों और एफडी पर ब्याज दरें कम होती जा रही हैं जिसका सीधा प्रभाव उसकी क्रय शक्ति पर पड़ेगा। नोटबंदी से भिखारी से लेकर अमीर तक सभी का सारा पैसा बैंकों के पास आ गया था और नोट बदलते समय सारा पैसा एकमुश्त वापिस भी नही मिला था। जब सारा पैसा नोटबंदी के माध्यम से बैंकों के पास आ गया था तो फिर अब अचानक यह पैसा चला कहां गया? निवेश के लिये आरबीआई से लेने और कॉरपोरेट जगत को कर राहत देने की नौबत क्यों और कैसे आ गयी? यह सब बहुत गंभीर सवाल हैं जिनका असर तो हर आदमी पर पड़ रहा है परन्तु हर आदमी की समझ से यह सब बाहर है।

''ऐसे मुद्दे जो प्रभावित तो सबको करें परन्तु सबकी समझ न आ सके'' जब समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब राजनीतिक दलों की आवश्यकता और उनकी भूमिका महत्वूपर्ण हो जाती है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी को उसी के हाल पर छोड़ देने से काम नही चलता। ऐसी वस्तुस्थिति में पूरी निष्पक्षता के साथ यह आकलन करना पड़ता है कि जो घट रहा है वह कहीं नीतियों की कुटिलता का परिणाम है या नीतियों में ना समझी का प्रतिफल है। क्योंकि नासमझी को तो समझ से दूर किया जा सकता है। जबकि कुटिलता पूरी समझ के साथ, नीयत के साथ की जाती है। ऐसी कुटिलता को जायज ठहराने के लिये साम, दाम, दण्ड और भेद जैसी सारी चाले चली जाती हैं। इस कुटिलता और नासमझी में विवेक करना ही राजनीतिक दलों का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन आज विपक्ष इस मानदण्ड पर खरे नही उतर रहे हैं। बल्कि पूरी तरह विमुखनजर आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर ही हताश या निराश हो गया है या उसमें वैचारिक विश्लेषण का संकट आ खड़ा हुआ है। इस संद्धर्भ में यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ही देश को कांग्रेस मुक्त करने का लक्ष्य घोषित कर दिया था जो शायद 2019 के चुनावों के बाद विपक्ष मुक्त भारत बन गया है। देश कांग्रेस मुक्त हो जाये या विपक्ष मुक्त यह इतना महत्वपूर्ण नही है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आम आदमी कहां खड़ा होगा।

इस समय मंहगाई का आलम यह है कि जिस प्याज को लेकर कभी नरेन्द्र मोदी ने ही यह तंज कसा था कि अब प्याज को तिजोरी में रखना पड़ेगा आज वही प्याज उन आंकड़ों से भी आगे निकल गया है लेकिन कहीं से कोई संगठित विरोध सामने नही आ रहा है। जिस व्यवस्था में भीड़ हिंसा पर सवाल उठाने के लिये अदालत सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब देश के कानून मंत्री आर्थिक मंदी को फिल्म की कमाई के तराजू पर तोलने लगे तो उसकी मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। जहां विरोध को दबाने के लिये ईडी और सीबीआई जैसी ऐजेन्सीयों का खुलकर उपयोग होने लगे वहां के हालात को समझना आम आदमी के बस की बात नही रह जाती है। सत्ता पक्ष के पास एक विचारधारा है यह विचारधारा भारत जैसे बहुविध समाज के लिये कितनी हितकर हो सकती है? विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश में निजि क्षेत्र के हवाले ही सब कुछ छोड़ देना कितना हितकर हो सकता है। इन सवालों पर आज साहस पूर्ण सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है लेकिन यह बहस अंबानी और अदानी के खरीदे हुए चैनलों के मंच से संभव नही है। इसके लिये कांग्रेस जैसे बड़े दल को ही आगे आना होगा। कांग्रेस और उसके नेतृत्व को यह तय करना होगा कि उसके पास खुली लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नही रह गया है। इस लड़ाई के लिये एक बार फिर गांधी और नेहरू की वैचारिक विरासत को विस्तार देना होगा। कांग्रेस जनो और आम आदमी को यह समझना होगा कि नेहरू और डाक्टर प्रशांत चन्द्र महाल नोबिस ने विकास की जो परिकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की थी आज भी वही अवधारणा प्रसांगिक है इस अवधारणा का मूल गांधी की विचारधारा थी कि जिस देश में मैन पावर जितनी अधिक होती है उसका मशीनीकरण बहुत सोच समझकर करना होता है। लाभ की अवधारणा पर आधारित विकास कालान्तर में समाज के लिये घातक होता है यह एक स्थापति सत्य है।

प्लास्टिक कचरा मुक्त करने की दिशा में एकजुट हुआ हिमाचल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्लास्टिक कचरा मुक्त करने की दिशा में एकजुट हुआ हमीरपुर जिला, प्रारम्भिक चरण में ग्राम पंचायतों में 633 किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित अपशिष्टों के प्रबंधन एवं उन्मूलन के लिए हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में वर्ष, 2009 से प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उकृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुरूप भारत सरकार द्वारा एक व्यापक पॉलीथिन कचरा उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण भारत वर्ष में चलाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पॉलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम 11 सितम्बर, 2019 से 27 अक्तूबर, 2019 तक तीन चरणों में चलाया गया है।

जिला हमीरपुर में अभियान के अंतर्गत 11 सितम्बर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2019 तक विभिन्न पंचायतों से 633 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रि किया गया, जिसमें से 488 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा केवल 2 अक्तूबर को एकत्रित किया गया। जिला में छः विकास खंड हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान विकास खंड बमसन के अंतर्गत समस्त पंचायतों में 176 किलोग्राम तथा भोरंज विकास खंड में 87 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। इसी प्रकार बिझड़ी विकास खंड के अंतर्गत 173 किलोग्राम, हमीरपुर विकास खंड में 32 किलोग्राम, नादौन विकास खंड में 122 किलोग्राम तथा सुजानपुर विकास खंड के अंतर्गत समस्त पंचायतों के माध्यम से अभियान के दौरान 43 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। एकत्र किए गए कचरे का निस्तारण लोक निर्माण विभाग के माधयम से किया जा रहा है और विभाग इसका उपयोग सड़क पक्की करने के कार्य में कर रहा है।

जिला हमीरपुर में सभी स्थानीय निकायों में भी यह अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर, सुजानपुर तथा नगर पंचायत भोटा व नादौन में प्रदेश तथा जिला को प्लास्टिक कचरा मुक्त करवाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों को प्लास्टिक कचरे को नदी-नालों, ढांकों व वनों में न फैंकने तथा इसका उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शहरी निकायों में सफाई कर्मियों तथा स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को सेवा ही स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से गांधी चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय हमीरपुर में खिलाड़ियों, विभिन्न स्कूलों के छात्रों की स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में जॉगिंग करते हुए शहर से प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया तथा जिला को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए विभिन्न स्लोगन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूकता संदेश भी दिया गया।

उपायुक्त कार्यालय परिसर के अतिरिक्त जिला के सभी विभागों ने भी अपने-2 कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई की तथा प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण हेतू प्लास्टिक कचरा हटाने के प्रति जागरूकता हेतु चित्रकला व स्लोगन राईटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्कूल परिसरों की साफ-सफाई कर प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। स्कूलों में प्रात:कालीन सभाओं में बच्चों को स्वच्छता व प्लास्टिक हटाने को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें इस संदेश को अपने घर, गांव तथा रिश्तेदारों तक पहुंचाने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में शामिल होकर प्रदेश तथा देश को प्लास्टिक कचरा से मुक्त करने में अपना सहयोग दे सकें।

मंडी का 'वन स्टॉप सेंटर' बना पीड़ित महिलाओं का सहारा

शिमला/शैल। हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करने में मंडी स्थित 'वन स्टॉप सेंटर' बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मंडी जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस सेंटर में निजी और सार्वजनिक जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार मंडी शहर में जेल रोड़ स्थित वर्किंग वूमन होस्टल में खोले गए इस 'वन स्टॉप सेंटर' में सभी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी रूप से रुकने की सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें किसी सहारे के लिए भटकना न पड़े। प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के तौर पर काम कर रहा है।

कोई भी पीड़ित महिला ले सकती है सुविधा का लाभ- इस बारे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर कहना है कि वन स्टॉप सेंटर उन सभी महिलाओं के लिए मददगाार बना है जो किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। सेंटर में ऐसी पीड़ित महिलाओं, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं, को न केवल आश्रय दिया जाता है, बल्कि उन्हें तत्काल चिकित्सा, मनौवैज्ञानिक एवं कानूनी परामर्श आदि आपातकालीन और गैर आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कोई भी पीड़ित महिला सेंटर में आकर यहां की सुविधाओं का लाभ ले सकती है।

24 घंटे खुला रहता है वन स्टॉप सेंटर- ऋग्वेद ठाकुर बताते हैं कि यह वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे खुला रहता है। यहां आने वाली पीड़िता को 5 दिन के लिए अस्थाई आश्रय दिया जाता है। इस दौरान उन्हें कानूनी सहायता, परामर्श सुविधा, चिकित्सा आदि सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।

आ चुके हैं 8 मामले- महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा बताते हैं कि मंडी में इस साल जनवरी में शुरू हुए इस 'वन स्टॉप सेंटर' में बीते दो-तीन महीनों में 8 मामले आ चुके हैं, जिन्हें काउंसलिंग और चिकित्सा सुविधा से लेकर कानूनी सहायता तक निशुल्क उपलब्ध करवाई गई है।

इनमें एक मामला गुजरात की एक महिला का भी था, जो अपने बच्चे सहित गलती से धर्मपुर पहुंच गई थीं। उन्हें गुजरात उनके घर पहुंचाने से पहले धर्मपुर से लाकर मंडी के वन स्टॉप सेंटर में ठहराया गया था।

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क- कोई भी पीड़ित महिला किसी प्रकार की सहायता व सहयोग पाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय मंडी के दूरभाष नंबर 01905-223845 और वन स्टॉप सेंटर के प्रभारी के मोबाइल नंबर 7018595492 पर संपर्क कर सकती हैं।

मुख्य धारा से दूर भारत का एक मात्र गांधीपंथी अहिंसक समुदाय हैं टाना भगत

गौतम चौधरी

टाना से टाना टोन टाना,
कांसा-पीतल माना,
दोना-पत्तल खाना,
टाना से टाना टोन टाना,
हड़िया-दारू माना,
मूला भट-भूटल खाना,
टाना से टाना टोन टाना!

यह घोष वाक्य जतरा टाना भगत का है। गांधी दुनिया में पूजे जाते हैं। हर जगह गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है लेकिन गांधी को जीने वाला कोई समूह है तो वह टाना भगतों का समूह है। यह समूह गांधी के बताए रास्ते सत्य और अहिंसा के साथ आज भी जी रहे हैं। हिंसा से भरी इस दुनिया में झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का टाना भगतों का समाज सचमुच अभिनव है। जब हम उनके संघर्ष और सहिष्णुता के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालेंगे तो लगता है सचमुच गांधी इस धरती पर आज भी जीवित हैं और वह टाना भगतों के भौतिक शरीर में देखे जा सकते हैं। कोई आडंवर नहीं, कोई उठा-पटक नहीं, विगत लगभग 100 वर्षों से ये शालीनता से अपना जीवन जीए जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब टाना भगत आन्दोलन प्रारंभ हुआ था तो इस आन्दोलन को दबाने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने इनकी जमीन को बलात नीलाम कर दी थी। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इन्हें वो जमीन वापस नहीं दिला पायी। टाना भगत आज भी उस मांग को लेकर अहिंसक आन्दोलन करते रहते हैं। टाना भगतों की अपनी दुनिया है और अपना पंथ है। गांधी की 150वीं जयंती पर टाना भगतों को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वे आज भी गांधी के बताए अहिंसक रास्ते पर चल रहे हैं। उनका जीवन बेहद सरह है और कम से कम संसाधनों में अपना निर्वहन करते हैं।

क्या है टाना भगतों का इतिहास?

बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ। वह ऐसा धार्मिक-राजनीतिक आंदोलन था, जिसके आर्थिक-राजनीतिक लक्ष्य थे। वह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नये 'पंथ' के निर्माण का आंदोलन था। सच पूछिए तो वह बिरसा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति-संघर्ष के क्रम में बिरसा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किये थे।

टाना भगत आंदोलन-टाना भगत आंदोलन में उन आदर्शों और मानदंडों के आधार पर जनजातीय पंथ को सुनिश्चित आकार प्रदान किया गया। बिरसा ने संघर्ष के दौरान शांतिमय और अहिंसक तरीके विकसित करने के प्रयास किये। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। बिरसा आंदोलन के तहत झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का ऐसा स्वरूप विकसित हुआ, जिसको क्षेत्रीयता की सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। टाना भगत आंदोलन ने संगठन का ढांचा और मूल रणनीति में क्षेत्रीयता से मुक्त रह कर ऐसा आकार ग्रहण किया कि वह गांधी के नेतृत्व में जारी आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अविभाज्य अंग बन गया।

टाना भगत आन्देालन को चलाने वाले जगतरा टाना भगत-उपलब्ध इतिहास के अनुसार जतरा उरांव के नेतृत्व में उस आंदोलन के लिए जो संगठन नये पंथ के रूप में विकसित हुआ, उसमें करीब 26 हजार सदस्य शामिल थे। वह भी वर्ष 1914 के दौर में। जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नामक गांव में 1888 में हुआ था। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु-बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़ कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत-प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नयी शैली विकसित की और उनके इस जीवन शैली में जो शामिल हुए उन्हें टाना भगत कहा जाने लगा। उस शैली ने शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नयी दृष्टि आदिवासी समाज में विकसित की। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नये पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहुकारों, मिशनरियों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित 'अहिंसक सेना' के सदस्य हो गये। जतरा टाना भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ- माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह 'टाना भगत आंदोलन' के रूप में सुर्खियों में आ गया। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें डेढ़ साल की सजा दी गयी। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया लेकिन टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया।

टाना भगतों का संघर्ष कांग्रेस के इतिहास में है दर्ज-टाना भगतों का संघर्ष कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रु. की एक थैली भेंट की थी।

टाना भगतों की शाखा-कालांतर में रीति-रिवाजों में भिन्नता के कारण टाना भगतों की कई शाखाएं विकसित हो गयी। टाना भगतों की प्रमुख शाखा को सादा भगत कहा जाता है। इसके अलावे बाछीदान भगत, करमा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गौरक्षणी भगत आदि कई शाखाएं हैं। 1948 में देश की आजाद सरकार ने 'टाना भगत रैयत एग्रिकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट' पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलाम की गयी जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था।

आजादी के बाद टाना भगतों का सरकार के साथ अंतरविरोध- बता दें कि टाना भगतों की लड़ाई केवल अंग्रेजों के साथ ही नहीं थी अपितु स्वतंत्र भारत की सरकारों के साथ भी टाना भगत अपनी मांग को लेकर जुझते रहे हैं। गौरतलब है कि हभी हाल ही में सरकार ने टाना भगतों का साल 1956 से बकाया लगान माफ कर दिया। यह टाना भगतों की पुरानी मांग थी। इस योजना के तहत 61 लाख 63 हजार 209 रुपये माफ किए गए हैं। राशि माफ करने के साथ ही सरकार ने टाना भगतों की जमीन पर लगान को लेकर एक रुपये की सेस लेने का फैसला किया है। यह भी टाना भगतों की पुरानी मांग रही है। दरअसल, अलग-अलग जगहों पर नीलाम की गई जमीन की वापसी को लेकर टाना भगत लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में मुक्कमल कारवाई कभी नहीं की गयी। टाना भगतों का आरोप है कि अगर जमीन वापसी का पत्र जारी कर दिया गया बावजूद इसके दखल नहीं मिल पा रहा है। टाना भगतों को इसकी भी टीस है कि अलग राज्य गठन के 18 सालों बाद भी इस समुदाय के लोग हाशिए पर हैं। टाना भगतों के किसी भी गांव में जाएं, तो कच्चे मकान, कच्ची गलियां, वही खेत- खलिहान के भरोसे टिकी जिंदगी और दूर- दूर तक पैदल साइकिल से आते-जाते लोग दिखाई पड़ेंगे। इन बातों ने टाना भगतों को आन्दोलित किया है। वैसे टाना भगतों से बातचीत में एक बात यह भी रेखांकित होती है कि अपने समुदाय के लिए लोग संघर्ष दशकों से कर रहे हैं, पर वे भी संघ-संगठन और जिले के नाम पर लगातार बंटते रहे हैं। टाना भगतों की एक मांग यह भी है कि उनके लिए 1908 के खतियान के आधार पर भूमि का सीमांकन किया जाए। सरकार इस बात को भी मानने से इन्कार करती रही है।

कहां-कहां बसते हैं टाना भगत

झारखंड राज्य के लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, चतरा, लातेहार, सिमडेगा जिले के अलग-अलग गांवों में टाना भगतों के परिवार बसे हैं। तिरंगा और अहिंसा के पुजारी झारखंड में इस समुदाय ने आजादी की लड़ाई में अहम भागीदारी निभाई है। इसलिए ये जहां भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। इनका अपना संसार है जो निहायत अहिंसक है।

टाना भगतों की पहचान एवं परंपरा

बेहद सहज, सरल व्यक्तित्व और सफेद धोती, कुर्ता, माथे पर टोपी, गमझा टाना भगतों की खास पहचान है। इनकी महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। बड़े बुजुर्ग अब भी घरों से बाहर निकलने पर दूसरे के हाथ का पका खाना नहीं खाते हैं। वे गांधी को शिद्दत से जीते है। उनसे झूठ नहीं बोला जाता। कई बड़े, बुजुर्ग कतली से सूत कातते हैं। इसी सूत से वे लोग जनेऊ बनाते हैं। हर तीन महीने पर वे इसे बदलते भी हैं। साथ ही घर के दरवाजे पर गड़ा बांस और तिरंगा भी बदलते हैं, जिसकी वे हर सुबह पूजा करते हैं। कोई भी टाना भगत बिना स्नान और प्रार्थना के भोजना ग्रहण नहीं करता है। हालांकि अब इन नियमों में थोड़ी कमजोरी आने लगी है लेकिन आज भी ये इसे निभा रहे हैं।

टाना भगतों की प्रार्थना और उसका अर्थ-प्रार्थना

भगवान बाबा निरमल
आ मैनू सीरीजान
माना बाबा सीरीजन
बाबा होई
आ मैनू सीरीजन
धरती आयो होय निरमल
आ मैनू सीरीजन
चान-सूरुज बाबा
आ मैनू सीरीजन
सीरी सीता माय
आ मैनू सीरीजन
बुधु बीर बाबा निरमल
आ मैनू सीरीजन
लक्ष्मी आयो होय
आ मैनू सीरीजन
आ महात्मा गांधी बाबा निरमल
सीरीजान बीरीजन
मानो होले जोलो ढ़ाइच
नमो न बाबा
चालिन बड़ा बाबा
बाली मू बड़ा बाबा
चाली नू बाड़ो होले
जालो ढाय दुधर ढाय
आशीर्वाद चिया बाबा
सीरीबाद चिया।

अर्थ-टाना भगत स्नान के बाद अपने दरवाजे पर गरे झंटे के पास जल चढ़ाते हैं और प्रार्थना के माध्यम से सात देवताओं का आह्वान करते हैं। इसमें परम पिता परमात्मा, धरती माता, सूर्य देव, चन्द्रमा, सीता माता, लक्ष्मी माता और गौमाता का वे आह्वान करते हैं। फिर अपने गुरू जतरा टाना भगत का आह्वान करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी का आह्वान करते हैं। इसके साथ ही साथ उन सभी वीर सपूतों का आह्वान करते हैं जिन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया। प्रार्थना का दूसरा पार्ट आह्वान किए गए देवताओं और गुरुओं को निर्मल जल और दूध से सेवा करने की बात कहते हैं। इसके बाद देवता को वे विसर्जित कर देते हैं। इस दैनिक अराधना के बाद ही टाना भगत भोजन करते हैं। यह प्रत्येक टाना भगतों का दैनिक धार्मिक अनुष्ठान है।

अपने पूवर्जों के बारे में बताते हैं टाना भगत-जतरा टाना भगत, तुरिया टाना भगत जैसे वीर हमारे दिलों में बसते हैं। यही वजह है कि नियमित तौर पर गांव के बड़े- बुजुर्ग इन वीर सपूतों की मूर्ति के पास प्रार्थना करते हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हम वर्तमान सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मौजूदा सिस्टम में बहुत आसानी से हक,अधिकार मिलने वाला नहीं है। गांवों और पंचायतों की बात नहीं सुनी जाती। आखिर हमलोगों को ही सरकारी दफ्तरों तक क्यों चक्कर लगाने पड़ते हैं। साहब लोग गांव क्यों नहीं आते। उनके दरख्वास्त पर तत्काल और समुचित कारवाई क्यों नहीं होती?

खरिया टाना भगत, अध्यक्ष रांची जिला टाना भगत- समुदाय के बच्चों और युवाओं की शिक्षा तथा रोजगार को लेकर चिंता होती है। इसके साथ ही समाज के मूल्य को लेकर भी चिंतित हैं। टाना भगतों के बच्चों के लिए छोटानागपुर में कई आवासीय स्कूल हैं लेकिन वहां की व्यवस्था उनके समाज के अनुकूल नहीं है। टाना भगतों के बच्चों को मांसाहारी भोजन परोसा जाता रहा है। परंपरागत तौर पर टाना भगत समुदाय मुर्गी पालन से भी बचते हैं। इस हाल में शाकाहारी होने का जो गुमान हमारे बड़े बुजुर्ग रखते हैं वह आने वाली पीढ़ी के बीच खतरे में दिखाई दे रही है।

- गंगा टाना भगत, बेरमो, रांची।

राजस्व में प्रयुक्त होती शब्दावली

राजस्व एक ऐसा विषय है जिसमें आज भी ऐसी शब्दावली प्रयुक्त होती है जिसकी समझ आम आदमी के लिये आज भी एक बड़ी समस्या है। राजस्व से हर आदमी का वास्ता पड़ता है बल्कि यह कहावत इस पर पूरी सटीक बैठती है कि "जर, जोरू और ज़मीन ही हर झगड़े का मूल है। इसलिये राजस्व में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को सामान्य शब्दार्थ में पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

1. आबादी देह – गांव का बसा हुआ क्षेत्र।
2. मौजा – ग्राम
3. हदबस्त – तहसील में गांव का सिलसिलावार नम्बर।
4. मौजा बेचिराग – बिना आबादी का गांव।
5. मिसल हकीयत – बन्दोबस्त के समय विस्तारपूर्वक तैयार की गई जमाबन्दी।
6. जमाबन्दी – भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक।
7. इन्तकाल – मलकियत की तबदीली का आदेश।
8. खसरा गिरदावरी – खातेवार मलकियत, बोने व लगान का रजिस्टर।
9. लाल किताब – गांव की भूमि से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देनेवाली पुस्तक।
11. शजरा नसब – भूमिदारों की वंशावली।
12. पैमाईश – भूमि का नापना।
13. गज – भूमि नापने का पैमाना।
14. अडडा – जरीब की पडताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप।
15. जरीब – भूमि नापने की 10 कर्म लम्बी लोहे की जंजीर।
16. गठ्ठा – 57.157 ईंच जरीब का दसवां भाग।
17. क्रम – 66 ईंच लम्बा जरीब का दसवां भाग।
18. क्रास – लम्ब डालने के लिए लकडी का यन्त्र।
19. झण्डी – लाईन की सीधाई के लिए 12 फुट का बांस।
20. फरेरा – दूर से झण्डी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपडा।
21. सूए – पैमाईश के लिए एक फुट सरिया।
22. पैमाना पीतल – स्सावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ ईंच।
23. मुसावी – मोटे कागज पर खेतों की सीमायें दर्शाने वाला नक्शा।
24. शजरा – खेतों की सीमायें दिखाने वाला नक्शा।
25. शजरा किस्तवार – टरैसिंग क्लाथ या टरैसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा
26. शजरा पार्चा – कपडे पर बना खेतों का नक्शा।
27. अक्स शजरा – शजरे की नकल (प्रति)
28. फिल्ड बुक – खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका।
29. बीघा – 40 गुणा 40 वर्ग करम =4 बीघे का खेत।
30. मुरब्बा – 25 किलों की समूह यानि 200 कनाल
31. मुस्ततील – 25 एकड का समूह यानि 200 कनाल
32. इस्तखराज – नम्बर की चारों भुजाओं की लम्बाई व चौडाई क्षेत्रफल निकालना
33. रकबा – खेत का क्षेत्रफल
34. किस्म जमीन – भूमि की किस्म
35. जमीन सफावार – खेतों का पृष्ठवार जोड।
36. थमजान खातावार – जेतवार जोड
37. मिजान कुलदेह – गांव के कुल क्षेत्रफल का जोड।
38. जोड किस्मवार – गांव की भूमि का किस्मवार जोड़।
39. गोशा – खेत का हिस्सा
40. त्तीमा – खेत का बांटा गया भाग
41. व्तर – कर्ण
42. बिसवांसी – 57.157 ईंच कर्म का वर्ग
43. बिसवा – 20 बिसवांसी
44. बिघा – 20 बिसवा
45. म्रला – 9 सरसाही बारबर 30 – 1/4 वर्ग गज =1/20
46. कनाल – 20 मरले 605= वर्ग गज =1/8 एकड
47. एकड – एक किला (40 करमग 36 करम) 4 बीघे – 16 बिसवे=(4840 वर्ग गज)
49. शर्क – पूर्व
50. गर्व – प्श्चिम
51. जनूब – दक्षिण
52. शुमाल – उत्तर
53. खेवट – मलकियत का विवरण
54. खतौनी – कशतकार का विवरण
55. पत्ती तरफ ठोला – गॉव में मालकों का समूह।
56. गिरदावर (कानूनगो) – पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला।
57. दफ्तर कानूनगो – तहसील कार्यालय का कानूनगो।
58. नायब दफतर कानूनगो – सहायक दफतर कानूनगो।
60. सदर कानूनगो – जिला कार्यालय का कानूनगो।
61. वासल वाकी नवीस – राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी
62. मालिक – भूमि का भू – स्वामी
63. कास्तकार – भूमि को जोतने वाला एवं कास्त करने वाला।
64. मालक कब्जा – मालिक जिसका शामलात में हिस्सा न हो।
65. मालक कामिल – मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो।
66. शामलात – सांझी भूमि।
67. शामलात देह – गांव की शामलात भूमि।
68. शामलात पाना – पाने की शामलात भूमि।
69. शामलात पत्ती – पत्ती की शामलात भूमि
70. शामलात ठौला – ठोले की शामलात भूमि।
71. मुजारा – भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो।
72. मौरूसी – बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा।
73. गैर मौरूसी – बेदखल होने योग्य कास्तकार।
74. छोहलीदार – जिसको भूमि दान दी जावे।
76. नहरी – नहर के पानी से सिंचित भूमि।
77. चाही नहरी – नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि।
78. चाही – कुएं द्वारा सिंचित भूमि।
79. चाही मुस्तार – खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि।
80. बरानी – वर्षा पर निर्भर भूमि।
81. आबी – नहर व कुऐं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि।
82. बंजर जदीद – चार फसलों तक खाली भूमि।
83. बंजर कदीम – आठ फसलों तक खाली पडी भूमि।
84. गैर मुमकिन – कास्त के अयोग्य भूमि।
85. नौतौड – कास्त अयोग्य भूमि को कास्त योग्य बनाना।
86. क्लर – शोरा या खार युक्त भूमि।
87. चकौता – नकद लगान।
88. सालाना – वार्षिक
90. बटाई – पैदावार का भाग।
91. तिहाई – पैदावार का 1/3 भाग।
92. निसफी – पैदावार का 1/2 भाग।
93. पंज दुवंजी – पैदावार का 2/5 भाग।
94. चहाराम – पैदावार का 1/4 भाग।
95. तीन चहाराम – पैदावार का 3/4 भाग।
97. मुन्द्रजा – पूर्वलिखित (उपरोक्त)
98. मजकूर – चालू
99. राहिन – गिरवी देने वाला।
100. मुर्तहिन – गिरवी लेने वाला।
101. बाया – भूमि बेचने वाला।
102. मुस्तरी – भूमि खरीदने वाला।
103. वाहिब – उपहार देने वाला।
104 मौहबईला – उपहार लेने वाला।
105. देहिन्दा – देने वाला।
106. गेरिन्दा – लेने वाला।
107. लगान – मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशी या जिंस।
108. पैमाना हकीयत – शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी।
109. सरवर्क – आरम्भिक पृष्ठ।
110. इण्डैक्स – पृष्ठ वार सूची।
115. नक्शा कमीबेशी – पिछली जमाबन्दी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि
118. वाजिबुलअज – ग्रामवासियों के ग्राम सम्बन्धी रस्में रीति रिवाज।
119. विरासत – उत्तराधिकार।
121. मुतवफी – मृत्क
122. हिब्बा – उपहार।
123. बैयहकशुफा – भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार।
124. श्रहन बाकब्जा – कब्जे सहित गिरवी।
125. आड रहन – बिला कब्जा गिरवी।
127. रहन दर रहन – मुर्तहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखवना।
128. सैकिण्ड रहन – राहिन द्वारा मुर्तहिन के ईलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखवना।
129. फकुल रहन – गिरवी रखी भूमि को छुडा लेना।
133. तबादला – भूमि के बदले भूमि लेना।
134. बैय – जमीन बेच देना
138. पडत सरकार – राजस्व रिकार्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति।
139. पडत पटवार – रिकार्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति।
140. मुसन्ना – असल रिकार्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकार्ड।
141. फर्द – नकल
142. फर्द बदर – राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को ठीक करना।
143. मिन – भाग
144. गिरदावरी – खेतों का फसलवार निरीक्षण।
145. जिंसवार – फसलवार जिंसों का जोड
147. फसल खरीफ – सावनी की फसल
148. खराबा – प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल।
149. फसल रबी – आसाढी की फसल।
150. पुख्ता औसत झाड़ – पैदावार के अनुसार पक्की फसल।
151. साबिक – भूतपूर्व, पूर्व, पुराना।
152. हाल – वर्तमान, मौजूदा।
153. बदस्तूर – जैसे का तैसा (पूर्ववत)
154. तकावी – फसल ऋण।
155. कुर्की – अटैचमैन्ट
156. दस्तक – राईट आफ डिमाण्ड
157. नीलाम – खुली बोली द्वारा बेचना।
158. बिला हिस्सा – जिसमें भाग न हो।
159. मिन जानिब – की ओर से।
160. बनाम – के नाम।
161. जलसाआम – जनसभा।
162. बशनाख्त – की पहचान पर।
163. पिसर या वल्द – पुत्र
164. दुखतर – सुपुत्री
165. वालिद – पिता
166. वालदा – माता
167. बेवा – विधवा
168. वल्दीयत – पिता का नाम
169. हमशीरा – बहन
172. हद – सीमा
173. हदूद – सीमायें
174. सेहहदा – तीन गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर
175. बखाना कास्त – कास्त के खाने में दर्ज।
176. सकूनत – निवास स्थान
177. महकूकी – काटकर दोबारा लिखना
178. मसकूकी – बिना काटे पहले लेख पर दोबारा लिखना।
179. बुरजी – सरवेरी सर्वेक्षण का पत्थर
180. चक तशखीश – बन्दोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निर्धारण।
181. दो फसली – वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि।
183. मेण्ड – खेत की सीमा
184. गोरा देह भूमि – गांव के साथ लगती भूमि।
185. हकदार – मालिक भूमि
186. इकरारनामा – आपसी फैसला
190 खुशहैसियत – अच्छी हालत
191. महाल – ग्राम
192 कलां – बडा
193. खुर्द – छोटा
194. जदीद – नया
195. मालगुजारी – भूमिकर
196. तरमीम – बदल देना
197. गोत – वंश का गोत्र
198. जमां – भूमि कर
199. झलार – नदी नाले से पानी देने का साधन
201. कारगुजारी – प्रगति रिपोर्ट
202. खाका – प्रारूप

मुख्यमंत्री द्वारा विलुप्त हो रही जीव-जन्तु प्रजातियों के संरक्षण पर बल

शिमला/शैल। पारिस्थितकीय संतुलन को बनाए रखने में वन्यजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो प्रकृति की विविध पर्यावरणीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य वन्यजीव विंग द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरातन समय से ही भारतीय पौराणिक कथाओं में वन्यजीवों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि पक्षियों, पशुओं, यहां तक कि सर्पों को हमारे समाज में पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण करें। राज्य सरकार प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चैहड़ फीजेंट के सफलतापूर्ण संरक्षण के लिए वन्य विभाग के वन्यजीव विंग की प्रशंसा की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विलुप्त हो रहे पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण पर अधिक बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी जगत को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है और मनुष्य का प्राचीन काल से ही वन्य जीवों और पशुओं के साथ गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का वन्यजीव सप्ताह का 'थीम' बर्फीले तेंदुआ पर केन्द्रित था, जोकि प्रदेश का राज्य पशु है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर नाटक की प्रस्तुति के लिए स्थानीय स्कूलों के दो विद्यार्थियों को 5100-5100 रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने वन्यजीव सप्ताह के आयोजन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह हम सभी का कर्तव्य है कि देश व प्रदेश में वन्यजीवों का संरक्षण करें। उन्होंने वन्यजीव विंग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी और बच्चों द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण पर आधारित नाटक प्रस्तुत की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मानव जाति द्वारा वन्यजीवों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ते हस्तक्षेप से वन्यजीवन खतरे में है।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ. अजय कुमार ने कहा कि वन्यजीव सप्ताह का आयोजन देश में प्रति वर्ष 2 से 8 अक्तूबर तक पूरे मनाया जाता है।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) डॉ. सरिता ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया और कहा कि वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन देश के लोगों को वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह का आयोजन बर्फीले तेंदुए के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया।

ऑक्सफोर्ड अंतरराष्ट्रीय स्कूल, हमीरपुर की अक्षिता ठाकुर ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सुपर मेगनेट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, हमीरपुर के हर्ष कुमार ने द्वितीय और गुरूकुल पब्लिक सीनियर सैकंडरी स्कूल हमीरपुर गौरी राय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डी.ए.वी पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला के सौम्य सैनी, राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, घनाहट्टी के शुभम आनंद शर्मा और राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, चम्बा की अदिति शर्मा ने हिन्दी नारा लेखन प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोरेटो कॉनवेंट तारा हॉल, शिमला की अदिति वर्मा, दयानंद पब्लिक स्कूल, शिमला की पलक और ब्लू स्टॉर स्कूल, हमीरपुर की प्रगति ने अंग्रेजी नारा लेखन प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। दयानंद पब्लिक स्कूल, शिमला की अक्षिता शर्मा, राजकीय मॉडल स्कूल, चम्बा की अदिति अहिर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, चम्बा ने हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे जबकि सैंट एडवर्ड स्कूल शिमला के पूरब कुलरंजन सिंह, दयानंद स्कूल शिमला की दीप्ती सूद और डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला के प्राची पीयूनस ने अंग्रेजी निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल किया। वन्यजीव अंतर-विश्वविद्यालय प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता में नौणी विश्वविद्यालय के अमन महाजन और तरुण वर्मा ने प्रथम पुरस्कार, पालमपुर विश्वविद्यालय के कुश भारद्वाज और नवजोत सिंह ठाकुर तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की पूजा और कार्तिक ठाकुर ने क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। वन कर्मी सुखवीर सिंह को चैहड़ फिजेंट प्रजनन केन्द्र खड़ीयून में उनके द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया।

देश के विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिकाः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार देश में बैंकों का इसलिए विलय कर रही है ताकि बैंक अपनी क्षमताओं का सर्वोच्च प्राप्त कर निवेशकों, उद्योगपतियों और आमजन को राहत प्रदान कर सकें। अनुराग सिंह ठाकुर ऐतिहासिक ठोडो मैदान में दो दिवसीय ग्राहक संपर्क उन्मुखी कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के बैंकों के विलयीकरण के निर्णय से जहां बैंकों की लेन-देन क्षमता बढ़ेगी वहीं भारतीय बैंक विश्व के सर्वोच्च बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बैंक विलयीकरण के निर्णय के सकारात्मक परिणामों से देश की आर्थिकी को प्रत्यक्ष लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि अब बैंक लोगों तक पहुंचें। इसी उद्देश्य के साथ ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक आर्थिकी का सशक्त आधार हैं और इनके माध्यम से न केवल संस्थागत आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है अपितु देश के आमजन के जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप अब देश के सभी नागरिकों का बैंक खाता खुल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में 36 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों में एक लाख 7 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। महत्वकांक्षी मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ लोगों को आर्थिकी सुधार के लिए ऋण प्रदान किए जा चुके हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के विलय के साथ-साथ घाटे में चल रहे बैंकों का गुणवत्ता आकलन भी करवा रही है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंकों के माध्यम से 70 हजार करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (इनसोलवेंसी बैंकरप्सी कोड) के माध्यम से डूब चुके बैंकों की एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इस कोड के तहत ऋणशोधन अक्षमता के समाधान के लिये जहाँ कहीं भी संभव हो वहां एक बाजार तंत्र और जहाँ जरूरी हो वहां निकासी सुविधा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन किया है। उन्होंने कहा कि देश में बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सकारात्मक प्रयास स्टार्ट अप इंडिया के रूप में भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत स्टार्ट अप के क्षेत्र में पहल करने वाले विश्व के सर्वोच्च पांच देशों में शामिल है। केंद्र सरकार ने स्टार्ट अप कंपनियों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं। इस वर्ष विजय दशमी के शुभ अवसर पर देश में 'फेसलेस एससेमेंट' भी आरंभ की जा रही है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी से आग्रह किया कि अधिक से अधिक मात्रा में डिजीटल करंसी का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश पेपर करंसी से सीधा डिजीटल करंसी की ओर बढ़ रहा है। देश के गांव-गांव में लोग अपने मोबाइल फोन से ही पैसों का लेन-देन और वस्तुओं का क्रय-विक्रय कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रे नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों और विभिन्न बैंकिंग तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़संकल्प है। उन्होंने आशा जताई कि देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से वर्ष 2025 तक यह सपना पूरा होगा।

दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों ने स्टॉल लगाकर अपनी ऋण संबंधी एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने समापन समारोह में 42.71 करोड़ रुपये के 591 ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक राणा आशुतोष ने मुख्यातिथि का स्वागत किया इस दो दिवसीय समारोह की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, बघाट बैंक के अध्यक्ष पवन गुप्ता, सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रहे डॉ. राजेश कश्यप, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, जिला परिषद सदस्य शीला, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, बैंक प्रतिनिधि एवं स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

साईबर अपराधों को रोकने के लिये पुलिस विभाग ने की आम जनता के लिये एड्वाईजरी जारी

शिमला/शैल। प्रदेश में साईबर अपराधों को रोकने के लिये पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश ने आम जनता के लिये एड्वाईजरी जारी की है।

हिमाचल पुलिस को वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध की लगभग 1500 शिकायतें मिली हैं। बढ़ते साइबर अपराध और अपराधियों द्वारा अपनाये जा रहे नए तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए, आम जनता से अनुरोध है कि वे साईबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिये सावधानियां बरतें:- **"क्या करें"**-विक्रेताओं की अपनी अनुपस्थिति में क्रेडिट/ डेबिट कार्ड से भुगतान करने की अनुमति न दें।

अनाधिकृत लेनदेन के मामले में, संबंधित बैंक शाखा में 48 घंटे के भीतर डिस्प्यूट फार्म भरें।

जब भी आप एटीएम, दुकानों, शापिंग माल, पेट्रोल पंप आदि में क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो खुले तौर पर पिन दर्ज न करें।

जब आप अपने डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको एक एसएमएस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि यदि आपने कार्ड का उपयोग नहीं किया है तो आप एसएमएस में बताए गए विशेष नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपको हर एक एसएमएस को ध्यान से देखना चाहिए।

जब आप अपने खाते से किसी भी गैरकानूनी लेन-देन को नोटिस करते हैं, तो आपको तुरंत साइबर क्राइम विंग को लैंडलाईन नंबर 0177-2620331, टोल फ्री नंबर 155260 और ई-मेल आईडी cybercrcell-hp@nic-in पर सूचित करें। मोबाईल नंबर 9805953670 शिकायत दर्ज कराने के लिए हर समय उपलब्ध है। उपरोक्त संपर्क नंबर व् इ-मेल आई डी पुलिस हेडक्वार्टर निगम विहार शिमला में स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की है।

उपरोक्त नंबरों पर शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस की साईबर अपराध शाखा आपकी शिकायत पर त्वरित कारवाई शुरू करेगी।

साइबर क्राइम विंग को सूचित करने में किसी भी देरी से पता लगाने की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी।

यदि आपके बैंक खाते के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर एकाएक बंद हो जाता है तो सम्बंधित टेलिकॉम सेवा प्रदाता/बैंक से तुरंत संपर्क करें।

अनाधिकृत लेनदेन की जांच करने के लिए नियमित अंतराल पर अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की निगरानी करें।

हमेशा स्किमर्स के लिए एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट की जांच करें।

अगर आपके बैंक खाते से अनाधिकृत पैसा निकल जाए तो इस सन्दर्भ में बैंक/ पुलिस अधिकारियों को तुरंत सूचित करें।

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए इंटरनेट बैंकिंग के ऑटो मोड को अक्षम करें।

टोल फ्री नंबर कभी भी कॉल बैक नहीं करता है। ग्राहक को स्वयं टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होता है।

"क्या न करें"-व अपना ओटीपी किसी के साथ सांझा न करें।

एटीएम पिन किसी के साथ सांझा न करें।

व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड का विवरण सांझा न करें।

अपने मोबाइल/लैपटॉप/ पीसी, टैब आदि में अपने डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का विवरण, पिन आदि न रखें।

जब आप कूरियर के माध्यम से डेबिट कार्ड व पिन प्राप्त करते हैं तो अपने डेबिट कार्ड के साथ गुप्त पिन न रखें।

बैंक आपके खाते से आधार को जोड़ने के लिए कभी भी फोन कॉल नहीं करते हैं।

बैंक कभी भी एटीएम कार्ड की रुकावट के संबंध में कॉल नहीं करते हैं।

अपने बचत खातों में भारी राशि न रखें। आप अतिरिक्त राशि को फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रख सकते हैं।

यदि कोई आपसे टोल फ्री नंबर सेवा बताकर संपर्क करता है तो उसका जवाब न दें। इसके बजाये आप टोल फ्री नंबर से संपर्क कर सकते हैं।

संदिग्ध शॉपिंग साईट से ऑनलाईन खरीददारी न करे।

भुगतान उद्देश्यों के लिए अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड को अजनबियों को न सौंपें।

भीड़ वाले एटीएम से पैसे न निकालें।

किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स पर विश्वास न करें।

अजनबियों के साथ अपने पहचान सम्बन्धित दस्तावेजों को सांझा न करें।

केवल फेसबुक/व्हाट्सएप और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स/ एप्स के आधार पर लोगों पर भरोसा न करें।

ओ एल एक्स और अन्य शॉपिंग साइटों पर दिए गये सेना के कर्मियों के दस्तावेजों पर भरोसा न करें। क्योंकि सेना के जवान कभी भी अपने सेना कार्ड/दस्तावेज सांझा नहीं करते हैं।

वैवाहिक साइटों और अन्य सामाजिक साइटों पर लोगों द्वारा दी गयी जानकारी पर भरोसा न करें।

गूगल खोज पर उपलब्ध शिकायत हेल्पलाईन नंबर/पोर्टल/ ग्राहक सेवाओं पर आँख बंद करके भरोसा न करें।

धोखाधड़ी करने वाले खुद को बीमा कंपनी, पेट्रोल पंप, टेलीकॉम टावर अधिकारी, बैंक ऋण विभाग, विदेशी वीजा के एजेंट के रूप में कॉल करते हैं। इस प्रकार के कॉल और मेल पर भरोसा न करें।

अपनी लॉगिन सम्बन्धित जानकारी को ओपन नेटवर्क या साइबर कैफे में सेव न करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

प्रदेश में कानून और व्यवस्था नही अराजकता का आलम है-उच्च न्यायालय

शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस त्रिलोक चौहान की एकल पीठ ने तीन अक्तूबर को पारित एक आदेश में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यहां पर कानून और व्यवस्था का स्थान अराजकता ने ले लिया है। जस्टिस चौहान ने कहा है कि This case reflects a sordid state of affairs that is existing in the State of Himachal Pradesh with regard to implementation of the orders passed by the Courts that have attained finality right up to the Hon'ble Supreme Court. जो मामला अदालत के सामने था उसमें याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में एक मामला दायर किया था जो ट्रिब्यूनल के बन्द होने पर उच्च न्यायालय में आ गया और उच्च न्यायालय में CWP (T) No. 11484/2008 के रूप में दर्ज हो गया। उच्च न्यायालय ने इस पर 21.3.2012 को यह फैसला दे दिया।

"Consequently, the petition is allowed to the limited extent that the petitioner shall be entitled to salary of Clerk w.e.f. 1st December, 1997 to 28th February, 2004. The difference between the salary received by the petitioner and salary payable to the Clerk shall also be paid to him latest by 31st July, 2012, failing which the State shall be liable to pay interest at the rate of 9% per annum right from the year 1997 till date."

प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को एल पी ए 516 of 2012 के रूप में चुनौती दे दी ओर यह एल पी ए 26.11.2013 को खारिज हो गयी। फिर सरकार ने इसमें एस एल पी दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। सर्वोच्च न्यायालय में भी 13.5.2015 को यह एस एल पी खारिज हो गयी और इस तरह मामले का अन्त हो गया। लेकिन 2015 में इसमें सर्वोच्च न्यायालय से आये अन्तिम फैसले के बाद भी इस पर अमल नही हो पाया है। अब इस पर अमल करवाने के लिये याचिकाकर्ता को अलग से एक और याचिका दायर करनी पड़ी है। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि

There can be no doubt that in case aggrieved the State is well within its right to assail the judgments passed by the Courts. But, once the lis has attained finality right up to the Hon'ble Supreme Court, then, I see no reason why the State should not graciously implement the same, rather than driving the beneficiary of such judgment to another round of litigation by resorting to filing either an execution petition or by filing contempt petition.

उच्च न्यायालय ने अदालती आदेशों के प्रति प्रशासन के इस तरह के रूख पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि The perception of "the law" as Mr. Bumble (in Oliver Twist-Charles Dickens) said "the law is a ass- a idiot" will be cemented if those entrusted and duty bound to obey the orders, fail to comply with the same. This will lead to complete anarchy and result in complete break down of law and order.

इसी के साथ खण्डपीठ ने इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजने के निर्देश दिये है और कहा है कि Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh for onwards circulation to all the concerned, so that the litigants are not compelled and forced to resort to another round of litigation.

उच्च न्यायालय के इन निर्देशों पर मुख्य सचिव के यहां से आगे प्रशासन में कोई निर्देश जा पाये है या नही इसकी कोई पुष्टि नही हो पायी है। लेकिन उच्च न्यायालय की इस तलख टिप्पणी के बाद यह सवाल अवश्य खड़ा हो जाता है कि प्रशासन अदालती फैसलों को लेकर इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया है। क्योंकि ऐसे कई मामले है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की आदेशों के अनुसार अनुपालना नही हो पायी है। इसमें सबसे ताजा उदाहरण राजकुमार राजेन्द्र सिंह बनाम एस जे वी एन एल मामला है। इसमें सितम्बर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया था। फैसले के अनुसार इस पर तीन माह में अमल किया जाना था। इसमें सरकार ने राजकुमार राजेन्द्र सिंह परिवार से 12% ब्याज सहित करोड़ों रूपयों की तीन माह में वसूली करनी थी। लेकिन इस पर आज तक अमल नही हो सका है जबकि यह मामला मुख्यमन्त्री और उनके प्रधान सचिव दोनों के ही संज्ञान में है।

इसी तरह नगर निगम शिमला में भी कई मामले ऐसे हैं जिनमें निगम अपनी ही अदालत के फैसलों पर वर्षो तक अमल न करके लोगों को परेशान होने के लिये बाध्य कर रहा है। न्यू शिमला में मुख्य सड़क पर बने एक मन्दिर को वहां से हटाने के आदेश स्वयं निगम की ही अदालत ने पारित किये थे। इन पर अमल करने के लिये अपने ही तीन कर्मचारियों /अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई थी लेकिन इस फैसले को भी दो वर्ष से अधिक का समय हो गया परन्तु अमल नही हो पाया है। जबकि निगम की ही जमीन पर अवैध रूप से बने मन्दिर के लिये इसके ही संवद्ध अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये थी।

यही नही हिमाचल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स का दावा करते हुए 31 अक्तूबर 1997 को एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी। इस स्कीम के तहत आयी शिकायतों पर एक माह के भीतर ही प्रारम्भिक जांच किये जाने का प्रावधान रखा गया है। 1997 में अधिसूचित की गयी स्कीम आज तक चालू है लेकिन इस स्कीम के तहत दायर हुई एक भी शिकायत की प्रावधानों के अनुसार विजिलैन्स जांच नही कर पायी है। बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर तो आलम यह है कि सार्वजनिक दिखावे के लिये तुरन्त जांच करने के ब्यान दे दिये जाते हैं परन्तु जांच होती नही है उसकी कोई रिपोर्ट पब्लिक में रखी नही जाती है। अभी पर्यटन की संपत्तियों के विनिवेश के मामले में आदेशित जांच इसका ताजा उदाहरण है। हाईड्रो कॉलेज बिलासुपर के निर्माण में न्यूनतम दर 92 करोड़ की निविदा को नजर अन्दाज करके 100 करोड़ की दर वाले को काम देकर टैण्डर में ही आठ करोड़ की चपत लग गयी। लेकिन सरकार इसमें कारवाई का साहस नही कर पा रही है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं और इन्ही सबके कारण आज अदालत को भी यह मानना पड़ा है कि प्रशासन में अराजकता फैल चुकी है।

मन्त्री की पत्नी के पर्स चोरी मामले में सरकार की जांच के मायने क्या हैं?

शिमला/शैल। जयराम सरकार के वन मन्त्री गोबिन्द ठाकुर की पत्नी रजनी ठाकुर का पर्स सात अक्तूबर को चण्डीगढ़ के सैक्टर आठ स्थित हैडमास्टर सैलून के सामने पार्क उसकी गाड़ी HP-660001 से चोरी हो गया है। यह चोरी का मामला मीडिया में इस तरह चर्चित हो उठा कि मुख्यमन्त्री को इस प्रकरण में जांच करवाने का

ब्यान देना पड़ा है। यह जांच कब होती है और इसमें क्या सामने आता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह जांच सरकार को करवाने की क्यों आवश्यकता आ पड़ी जबकि इसमें पहले ही एफआईआर मन्त्री की पत्नी करवा चुकी है। इसी एक बिन्दु से इस सारे मामले की राजनीतिक गंभीरता बदल जाती है। जबकि इस तरह की घटनाएं वर्तमान परिवेश में सामान्य बात है।

मन्त्री की पत्नी जिस गाड़ी में थी उसका पंजीकरण एम डी एच आर टी सी के नाम है और शायद यह गाड़ी मंत्री के साथ अटैच है। लेकिन मंत्री के साथ सरकारी गाड़ी के अटैच होने से ही उसमें मन्त्री के बिना उनकी पत्नी यात्रा की पात्र नही हो जाती है। फिर इस गाड़ी से चोरी हुए पर्स में अन्य सामान के अतिरिक्त 2.5 लाख कैश था। वित्त अधिनियम 2007 के अनुसार एक समय में इतनी नकदी कोई भी आदमी अपने साथ नही रख सकता है। इस प्रकरण के ऐसे बिन्दु हैं जिनका वैध रूप से कोई जवाब नही है। जबकि अन्यथा यह सब कुछ बहुत सामान्य है। इस मामले में मन्त्री की पत्नी ने स्वयं एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके मुताबिक वह पांच घण्टे सैलून में रही हैं। हो सकता है कि जब एफआईआर दर्ज करवायी गयी तब इन बिन्दुओं पर विचार ही नही किया गया हो। यहां यह भी सवाल उभरता है कि जब यह एफआईआर करवायी गयी तब क्या इस घटना की जानकारी मन्त्री को नही दी गयी? यदि मन्त्री के संज्ञान में लाने के बाद यह एफआईआर दर्ज करवायी गयी है तब इसमें मन्त्री की समझ पर भी सवाल उठना स्वभाविक है।

लेकिन अब जब मुख्यमन्त्री ने भी इस प्रकरण में जांच करवाने का ब्यान दिया है तो यह और सवाल उठ जाता है कि क्या गाड़ी में एफआईआर में दर्ज करवाये गये सामान के अतिरिक्त कुछ और तो नही था।

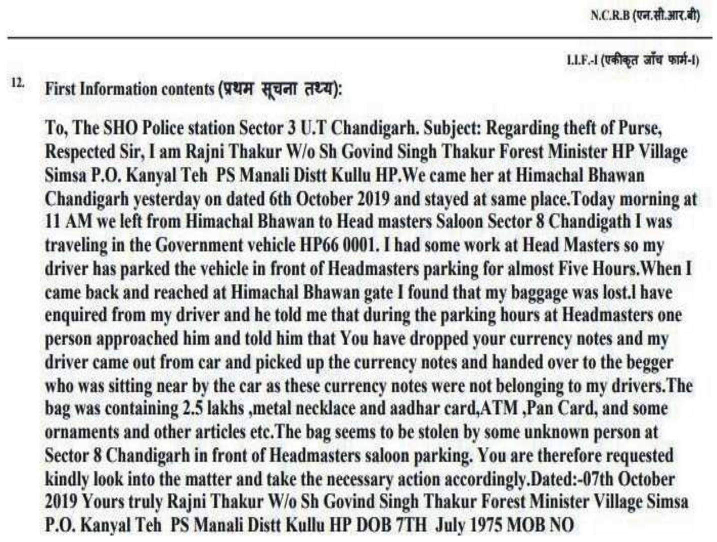
N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

To, The SHO Police station Sector 3 U.T Chandigarh. Subject: Regarding theft of Purse, Respected Sir, I am Rajni Thakur W/o Sh Govind Singh Thakur Forest Minister HP Village Simsa P.O. Kanyal Teh PS Manali Distt Kullu HP.We came her at Himachal Bhawan Chandigarh yesterday on dated 6th October 2019 and stayed at same place.Today morning at 11 AM we left from Himachal Bhawan to Head masters Saloon Sector 8 Chandigath I was traveling in the Government vehicle HP66 0001. I had some work at Head Masters so my driver has parked the vehicle in front of Headmasters parking for almost Five Hours.When I came back and reached at Himachal Bhawan gate I found that my baggage was lost.I have enquired from my driver and he told me that during the parking hours at Headmasters one person approached him and told him that You have dropped your currency notes and my driver came out from car and picked up the currency notes and handed over to the begger who was sitting near by the car as these currency notes were not belonging to my drivers.The bag was containing 2.5 lakhs ,metal necklace and aadhar card,ATM ,Pan Card, and some ornaments and other articles etc.The bag seems to be stolen by some unknown person at Sector 8 Chandigarh in front of Headmasters saloon parking. You are therefore requested kindly look into the matter and take the necessary action accordingly.Dated:-07th October 2019 Yours truly Rajni Thakur W/o Sh Govind Singh Thakur Forest Minister Village Simsa P.O. Kanyal Teh PS Manali Distt Kullu HP DOB 7TH July 1975 MOB NO

इन्वैस्टर मीट पर मुकेश ने मांगा

........पृष्ठ 1 का शेष

आशंका है। क्योंकि पर्यावरण को लेकर जिस स्तर की चिन्ताएं एन.जी.टी. से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाहिर कर चुके हैं उनके परिदृश्य में यह शंकाएं बढ़ जाती हैं। स्की विलेज परियोजना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

इसी के साथ अभी जो एसजेवीएनएल के साथ 18165 करोड़ के एमओयू साईन किये गये हैं उसमें सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एसजेवीएनएल तो राज्य सरकार का ही एक पीएसयू है। हिमाचल सरकार इसमें भागीदार है। फिर लूहरी और सुन्नी की परियोजनाओं पर तो यह उपक्रम एक दशक से काम कर रहा है और धौला सिद्ध भी इसे 2011 में आबंटित हो गया था। ऐसे में इन्हें नये एमओयू के रूप में प्रचारित करने का कोई औचित्य नही रह जाता है। इसी कड़ी में मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पूछा है कि उन 63 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गो का क्या हुआ है जिसकी घोषणा बड़े पैमाने पर नितिन गडकरी ने की थी और इस संद्धर्भ में नड्डा को लिखा पत्र भी मीडिया को जारी किया गया था। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्वेत पत्र की मांग सरकार के समीकरणों को बिगाड़ सकती है।